—:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अधिवक्तागण ::—

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्र सैन — अप्रार्थी संख्या 4 ता 6
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 4

—:: निर्णय ::—

दिनांक– 21/4/26

अधिवक्ता प्रार्थी श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो हिन्दु विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शासित होते है व अप्रार्थीगण सं. 4 ता 6 सह काश्तकार है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के नाम संयुक्त खाता में कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 1 एनएम के खाता सं. 21/19 के प.नं. 29/354 (1) किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17 की 2.024 हैक., प.नं. 30/354 (2) किला नं 1 ता 10 की 2.530 हैक., प.नं. 31/356 (11) किला नं. 1/2 ता 25/2 की 6.200 हैक., प.नं. 32/356 (12) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक., प.नं. 32/357 (13) किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23/2 की 3.842 हैक. इस प्रकार कुल 20.721 हैक. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी सं.1 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 ता 4291/27628 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 ता 6 प्रत्येक का 218/6907–218/6907 – 218/6907 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने 1/2 हिस्सा की कृषि

भूमि में से 1.962 हैक्. भूमि जरिये बैयनामा अप्रार्थीगण सं. 4 ता 6 को बेचान कर दी व अप्रार्थी सं.1 ने अपने हिस्सा की भूमि में से 2.590 हैक्. भूमि को अपनी पत्नी अप्रार्थी सं. 3 को गिफट कर दी। अब वर्तमान हिस्सा प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णितानुसार दर्ज रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि सयुक्त खाता की भूमि है। जिसका प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के मध्य अर्सा दराज 10 वर्ष पूर्व अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार घरू बंटवारा हो चुका है और उसी अनुसार प्रार्थी अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी को घरू बंटवारा में निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई है

प्रार्थी को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 1 एनएम के खाता सं. 21/19 के प.नं. 29/354 (1) किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17 की 2.024 हैक. कमांड अनकमांड, प.नं. 30/354 (2) किला नं. 1 ता 10 की 2.530 हैक्., प.नं. 31/356 (11) किला नं. 1/2, 2 ता 9 की कुल 2.252 हैक्., प.नं. 32/356 (12) किला नं. 1 ता 5, 8/.126 (पश्चिमी दिशा), 9 ता 12, 13/.126 (पश्चिमी दिशा), 18/126 (पश्चिमी दिशा), 19 ता 22, 237.126 (पश्चिमी दिशा) की 3.795 हैक्. इस प्रकार कुल तादादी 10.601 हैक्. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खातेदारी ।

इसी अनुसार प्रार्थी अपनी घरू बंटवारा अनुसार प्राप्त कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है इसी अनुसार प्रार्थी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

यह कि प्रशगनत भूमि सयुक्त खाता की भूमि है जिसका पक्षकारान के मध्य आये दिन सींव बट व रकमराज को लेकर तनाजा बना रहता है। इसलिये प्रार्थी वाद पत्र की दफा 5 की उपदफा क में प्राप्त कृषि भूमि का खाता अप्रार्थीगण से तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने का हकदार यह कि अप्रार्थीगण जो कि लालची किस्म के व्यक्ति है। प्रार्थी अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है व प्रार्थी ने अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि को अपनी मेहनत व आय से समतल व कृषि योग्य बनाया है। अब अप्रार्थीगण के मन में लालच पैदा हो गया है वे प्रार्थी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में आये दिन दखलंदाजी करते रहते है व अपने लालच के वशीभूत होकर सयुक्त खाता की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी में से अच्छी कृषि भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण उक्त सयुक्त खाता की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है

कि अस्थाई निषेधाज्ञा तो फैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर को जारी की जाये कि अप्रार्थीगण तहसील पीलीबंगा के चक 1 एनएम के खाता सं. 21/19 के प.नं. 29/354 (1) किला नं. 4 ता 7 14 ता 17 की 2.024 हैक्., प.नं. 30/354 (2) किला नं 1 ता 10 की 2.530 हैक., प.नं. 31/356 (11) किला नं. 1/2 ता 25/2 की 6.200 हैक. प.नं. 32/356 (12) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक., प.नं. 32/357 (13) किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 2312 की 3.642 हैक. इस प्रकार कुल 20.721 हैक्. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खातेदारी कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई जिसपर दिनांक 05.08.2022 को नायब तहसीलदार मौका कमि नर की रिपोर्ट के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। बाद तामिल नोटिस प्राप्त होने पर भी अप्रार्थी गण संख्या 1 ता 3 हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही जारी की गई है।

स्टेट जवाब प्रार्थना पत्र में प्राप्त हो चुका है शामिल पत्रावली है

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों का अवलोकन किया गया। चक 1 एनएम के खाता सं. 21/19 के प.नं. 29/354 (1) किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17 की 2.024 हैक. कमांड अनकमांड, प.नं. 30/354 (2) किला नं. 1 ता 10 की 2.530 हैक्., प.नं. 31/356 (11) किला नं. 1/2, 2 ता 9 की कुल 2.252 हैक्., प.नं. 32/356 (12) किला नं. 1 ता 5, 8/.126 (पश्चिमी दिशा), 9 ता 12, 13/.126 (पश्चिमी दिशा), 18/126 (पश्चिमी दिशा), 19 ता 22, 237.126 (पश्चिमी दिशा) की 3.795 हैक्. इस प्रकार कुल तादादी 10.601 हैक्. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिनभूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादे । चाहा है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति होना प्रतित होता है। प्रार्थी ने वाद भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु न्यायालय हाजा में राजस्थान का तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत किया है जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। प्रार्थीगण के हक्कों एवं हिस्सों का निर्धारण उक्त वाद में साक्ष्य व सबूतों के लेखबद्ध होने के उपरातं ही होना है। यदि उक्त वाद भूमि को किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 द्वारा खुर्द–बुर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः वाद भूमि पैतृक संपति जाहिर हाने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हाने के कारण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में हाने पर वाद में प्रार्थीगण के हक–हिस्सों के तय होने तक वाद भूमि के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखना न्यायालय के अभिमत में न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटी. स्वीकार योग्य हाने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आप अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वे चक 1 एनएम के खाता सं. 21/19 के प.नं. 29/354 (1) किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17 की 2.024 हैक. कमांड अनकमांड, प.नं. 30/354 (2) किला नं. 1 ता 10 की 2.530 हैक्., प.नं. 31/356 (11) किला नं. 1/2, 2 ता 9 की कुल 2.252 हैक्., प.नं. 32/356 (12) किला नं. 1 ता 5, 8/.126 (पश्चिमी दिशा), 9 ता 12, 13/.126 (पश्चिमी दिशा), 18/126 (पश्चिमी दिशा), 19 ता 22, 237.126 (पश्चिमी दिशा) की 3.795 हैक्. इस प्रकार कुल तादादी 10.601 हैक्. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिनभूमि मे रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनाकं 24/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 24/4/26 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंग